रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1989/ज्येष्ठ 5, 1911
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1989/JYAISTHA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1989

सं. सचिव : 9.2.13:—राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 64) की धारा-38 की उपधारा-2 और उपधारा-3 के खण्ड "ट" और "ण" के साथ पठित उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबन्ध, विमान यातायात सेवाओं के भू-स्तम्भन के लिए प्रवेश) विनियम, 1989 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे :—

(क) निम्नलिखित को छोड़कर, वे सभी विमान क्षेत्र जहां अन्तर्देशीय विमान यातायात सेवाएं प्रचालित होती हैं अथवा जहां प्रचालित होने की संभावना है :—

(i) वे विमानक्षेत्र जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 लागू होता है; और

(ii) वे विमानक्षेत्र और एअर फील्ड जो संघ की किसी थल सेना के हों अथवा उनके नियंत्रण में हों :

(ख) सभी सिविल एन्क्लेव; और

(ग) सभी वैमानिक संचार केन्द्र।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 64) अभिप्रेत है;

(ख) "एप्रेन" से किसी विमानक्षेत्र अथवा सिविल एन्क्लेव का एक हिस्सा अभिप्रेत है जोकि यात्रियों अथवा सामान को चढ़ाने और उतारने के लिए अथवा ईंधन लेने अथवा रख-रखाव के लिए विमान को पार्किंग करने के लिए बना हो ;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अध्यक्ष अथवा इस कार्य के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) "कौशल क्षेत्र" से किसी विमानक्षेत्र या सिविल एन्क्लेव (एप्रेन सहित) का एक हिस्सा अभिप्रेत है जोकि विमानों के आरोहण और अवतरण आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ञ) "आवागमन क्षेत्र" से वह विमानक्षेत्र या सिविल एन्क्लेव अभिप्रेत है जोकि विमान के भूतल आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमे कौशल क्षेत्र और एप्रेन भी शामिल है;

(ठ) "भू-स्तंभन" से रेम्प हैण्डलिंग और यातायात स्तंभन अभिप्रेत है।

4. आवगमन क्षेत्र में प्रवेश पर रोक :—विनियम 5 की व्यवस्थाओं को छोड़कर, कोई व्यक्ति विमान क्षेत्र पर किसी के भू-स्तंभन के लिए किसी वाहन या अन्य उपस्कर के प्रचालन के लिए आवागमन क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा और न ही वहां ठहरेगा।

5. आवागमन क्षेत्र मे प्रवेश के लिए प्रतिबंध :—(1) किसी विमान, निजी या किसी एअरलाइन के भू-स्तंभन के लिए किसी वाहन या अन्य उपस्कर के प्रचालन के लिए आवागमन क्षेत्र में प्रवेश और ठहरना निम्न प्रकार से प्रतिबन्धित होगा :—

(क) इस कार्य के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण का कर्मचारी;

(ख) इस कार्य के लिए प्राधिकृत विमान का प्रचालक अथवा मालिक या उसके पूर्णकालिक कर्मचारी। बशर्ते कि वे संरक्षा, सुरक्षा और विमानक्षेत्रों के कुशल प्रबन्ध सहित सभी पहलुओं के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करें ;

(ग) कोई अन्य प्रचालक या अभिकरण जिसे पहली जून, 1986 से तत्काल पहले ऐसे विमानों के भू-स्तंभन कार्य में लगाया गया हो, और जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे विमान के लिए भू-स्तंभन सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई हो। बशर्ते कि वे संरक्षा, सुरक्षा और विमानक्षेत्रों के कुशल प्रबन्ध सहित सभी पहलुओं के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करें ;

बशर्ते कि एअरलाइन प्रचालक, या कोई अभिकरण जिसे इस प्रकार की अनुमति दी गई हो, अपने निश्चित कार्य को उस एअरलाइन तक ही जारी और सीमित रखेगा जिसके साथ वह अथवा एअरलाइन ऐसी अनुमति जारी करने से तत्काल पहले सम्बद्ध था :

परन्तु यह और कि इस विनियम की कोई बात किसी प्रचालक, मालिक अभिकरण अथवा एअरलाइन को यह अधिकार नही देती कि वह किसी विमानक्षेत्र पर (जिस पर ये विनियम लागू होते हैं) किसी विमान के भू-स्तंभन का कार्य करे। बशर्ते कि सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय की विशिष्ट अनुमति ली गई हो।

6. दण्ड :—विनियम 4 और 5 के प्रावधानों का उल्लंघन दण्डनीय होगा और उसके लिए 500 रुपए का जुर्माना होगा और ऐसे प्रथम उल्लंघन के सिद्ध होने के बाद यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 25 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त फाइन तब तक देना होगा जब तक उल्लंघन जारी रहता है।

भं. शा. राजे, एअर मार्शल
अध्यक्ष

NATIONAL AIRPORTS AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1989

No. Sec : 9.2.13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (k) and (o) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 38 of the National Airports Authority Act, 1985 (64 of 1985), the National Airports Authority, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement — (1) These regulations may be called the National Airports Authority (General Management, Entry for Ground Handling of Air Transport Services) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to—

(a) all aerodromes whereat domestic air transport services are operated or are intended to be operated, other than—

(i) aerodromes to which the International Airports Authority Act, 1971 applies ; and

(ii) aerodromes and airfields belonging to, or subject to the control of, any armed force of the Union;

(b) all civil enclaves; and

(c) all aeronautical communication stations.

3. Definitions —In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the National Airport Authority Act, 1985 (64 of 1985) ;

(b) "apron" means a part of an aerodrome or civil enclave meant for parking of aircraft for purposes of loading or unloading of passengers or cargo or for refuelling or for maintenance;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Authority appointed under section 3 of the Act;

(d) "competent authority" means the Chairman or any other officer authorised by him in this behalf;

(e) "manoeuvring area" means a part of an aerodrome or civil enclave (excluding apron) which is used for take-off and landing of aircraft;

(f) "movement area" means a part of an aerodrome or civil enclave used for the surface movement of aircraft and includes manoeuvring area and apron;

(g) "ground handling" means ramp handling and traffic handling.

4. Prohibition of entry in the movement area :— No person shall enter into or remain in the movement area for operating any vehicle or other equipment for ground handling of any aircraft at an aerodrome except as provided in regulation 5.

5. Restriction of entry in the movement area :—

(1) Entry into and remaining in the movement area for operating any vehicle or other equipment for ground handling of any aircraft, whether private or belonging to any airline, shall be restricted to—

(a) the employeees of the Authority duly authorised in this behalf;

(b) the operator or the owner of such aircraft or his whole-time employees authorised by him in this behalf subject to such conditions as may be specified from time to time by the competent authority having regard to all aspects including safety, security and proper and efficient management of the aerodromes;

(c) any other operator or agency who, by virtue of this or its having been engaged in the ground handling of such aircraft immediately prior to 1st June, 1986, has been specially permitted by the competent authority to continue to provide the ground handling facility for such aircraft, subject to such terms and conditions as the competent authority may determine from time to time having regard to all aspects including safety, security and proper and efficient management of the aerodromes :

Provided that the airline operator, or any agency so permitted shall continue and restrict his or its exact job to the extent and to the airline which he or it was engaged in immediately prior to the issuance of such permit :

Provided further that nothing contained herein shall be construed to confer any right on any operator, owner, agency or an airline, to carry on the business of ground handling of any aircraft at an aerodrome to which these regulations apply unless specific permission, in writing, from the competent authority has been obtained.

6. Punishment.—The contravention of the provisions of regulations 4 and 5 shall be punishable with a fine of five hundred rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine of twenty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

C. K. S. RAJE, Air Marshal Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989